23-06-2021 अधिवक्ता अपीलांट के आवेदन पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता अपीलांट ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अपील केवल कानूनी बिन्दु पर आधारित है, क्योंकि उक्त अपील मे जो बिन्दु विवादित है, उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ारित निर्णय सुरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट में निर्णित कर दिया है? इसीलिए उसी अनुरूप उपरोक्त अपील का निस्तारण बिना रेकर्ड किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दोनों पक्षों के साक्ष्य लेखबद्ध किये ही निर्णय पारित किया हैं, ऐसी स्थिति में बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाये ही अपील का निस्तारण संभव है, इसीलिए आज ही बहस सुनी जावें। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता को आवेदन पर सुना गया, न्यायहित मे आवेदन स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई। उक्त अपील अपीलांट की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2020 के अध्याधीन स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 23.03.2021 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2020 के अध्याधीन निरस्त किया जाता है उक्त निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा, तथा अध्याधीन रहेगा। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम हों। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली